भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1082
दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

बाल विकास समिति

1082. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रनः
राजमोहन उन्नीथनः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केरल में बाल विकास समितियों के राजनीतिकरण के बारे में आरोपों पर ध्यान दिया है;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या सरकार ने बाल विकास समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए योग्यता निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पोक्सो) मामलों की उचित जांच और अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है;
(ङ) क्या यह सरकार के संज्ञान में आया है कि निष्पक्ष पुलिस जांच में विफलता के कारण पोक्सो मामलों में आरोपियों की रिहाई के खिलाफ केरल में आंदोलन चल रहा है;
(च) यदि हां, तो सरकार ने समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए हैं ; और
(छ) क्या सरकार का पोक्सो मामलों की जांच के लिए एक योजना बनाने का विचार है ताकि पोक्सो मामलों की निष्पक्ष जांच और अभियुक्तों का अभियोजन सुनिश्चित किया जा सके?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : महिला एवं बाल विकास निदेशालय, केरल द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार केरल के सभी 14 जिलों में बाल कल्याण समितियां (सीडब्ल्यूसी) कार्यरत हैं। प्राप्त शिकायत के आधार पर केरल सरकार द्वारा बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) पल्लकड के अध्यक्ष के खिलाफ जांच गठित की गई थी। जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर पल्लकड बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष / सदस्य को काम करने पर रोक लगा दी गई थी। परिणास्वरूप उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

कि□शोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2015 की धारा 27(1) के अनुसार इन समितियों को बच्चों से संबंधित प्रदत्त कर्तव्यों के निवर्हन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से बाल कल्याण समितियों का गठन किया जाना है। इन समितियों में एक अध्यक्ष के अलावा, राज्य सरकार जैसा उचित समझे चार सदस्यों की नियुक्ति कर सकती है। इन सदस्यों में कम से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए और एक अन्य, बच्चों से संबंधित मामलों का विशेषज्ञ। कि□शोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2015 के नियम 15(3) के तहत मॉडल नियम,2016 बनाए गए हैं। इन मॉडल नियमों के अनुसार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र कम से कम 35 साल से ऊपर होनी चाहिए। उनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, या कल्याण गतिविधियों में बच्चों के साथ काम करने का सात साल का अनुभव या उनके पास बाल मनोविज्ञान या मानसिक रोग चिकि□त्सा के क्षेत्र में काम करने का पेशवर डिग्री या उन्हें सामाजिक कार्य या समाज शस्त्र या मानव विकास या कानून के क्षेत्र का कार्यकर्ता या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होना चाहिए। अधिनियम और नियमों के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों की है।

(घ) से (छ): महिला एवं बाल विकास निदेशालय, केरल द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार राज्य में पोस्को (पीओसीएसओ) मामलों की समीक्षा करने के लिए केरल के माननीय मुख्यमंत्री ने 5.11.2019 को एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। समय-समय पर मामलों की समीक्षा करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कि□या गया है।

भारत के संविधान के अंतर्गत 'पुलिस' और सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य का विषय है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना, बच्चों सहित नागरिकों की संपत्ति और जान की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। राज्य सरकारें कानून के दायरे में ऐसे अपराधों को रोक पाने में सक्षम हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार यौन अपराधों/ हमलों से संबंधित मामलों को रोकने और इनकी जांच में तेजी लाने के लिए कई पहलें की गई हैं। इन पहलों की जानकारी नीचे दी गई है।

i. यौन अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए अपराध विधि (संशोधन), अधिनियम 2013 लागू किया गया है। इसके साथ ही 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार करने वालों के लिए मृत्यु दंड सहित अधिक सख्त दंड निर्धारित करने के लिए अपराध विधि (संशोधन), अधिनियम 2018 को लागू किया गया। इसके अतिरिक्त यह कानून जांच और मुकदमें की कार्यवाही को दो महीने के भीतर पूरा करने को भी अधिदेशित करता है।

ii. गृह मंत्रालय ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा जांच और यौन अपराधियों पर नजर रखने को सुगम बनाने के लिए 'यौन अपराधियों का डाटाबेस' (एनडीएसओ) 20 सितंबर, 2018 को लांच किया है।

iii. अपराध विधि (संशोधन), अधिनियम 2018 को ध्यन में रखते हुए गृह मंत्रालय ने यौन हमलों की निगरानी और समयबद्ध जांच पर नजर रखने के लिए 19 फरवरी, 2019 को पुलिस के लिए 'इनवेस्टीगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंडर्स' नामक एक विश्लेषणात्मक ऑनलाइन टूल का शुभारंभ किया है।

iv. जांच में सुधार करने के लिए गृह मंत्रालय ने केन्द्र और राज्य फारेंसिक साइंस लेबोरेटरिज की डीएनए विश्लेषण यूनिटों को सुदृढ़ करने के कदम उठाए हैं। इनमें सेंट्रल फारेंसिक साइंस लेबोरेटरी, चंडीगढ़ में एक अद्यतन डीएनए विश्लेषण यूनिट की स्थापना करना शामिल है। गृह मंत्रालय ने 13 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में डीएनए विश्लेषण फारेंसिक साइंस लेबोरेटरिज स्थापित करने और इनका दर्जा बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की है।

v. गृह मंत्रालय ने यौन हमलों/ अपराधों के मामलों में फारेंसिक सबूतों को इकट्ठा करने और सेक्सुअल एसॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट में इसके स्टैंडर्ड कंपोजिशन के लिए दिशानिर्देश को अधिसूचित किया है। पर्याप्त श्रमशक्ति क्षमता उपलब्ध कराने के लिए जांच अधिकारियों, अभियोजन और मेडिकल अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण और कौशल कार्यक्रम शुरू किए गए। फारेंसिक सबूतों को संभालने एवं इनकी ढुलाई के लिए पुलिस शोध एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) और लोक नायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फारेंसिक साइंस द्वारा कुल 6023 अधिकारियों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। बीपीआर एंड डी ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को उन्मुखीकरण किट के रूप में 3,120 सेक्सुअल एसॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट प्रदान किए हैं।

vi. उपरोक्त उल्लिखित उपायों के अलावा, गृहमंत्रालय ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए समय-समय पर राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को परामर्शिका जारी की है। इन परामर्शिकाओं को www.mha.gov.in पर देखा जा सकता है।